रीख ुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

चतरसिंह बनाम रामेश्वर

लिया जाता है, वादी अधिवक्ता ने संशोधित शीर्षक पेश किया।

वकील उभय पक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि इसी आराजी खसरा नम्बरान से संबंधित एक अन्य दावा 93 नवानी रामेश्वर वगैरह बनाम चतरसिंह वगैरह विचाराधीन है, अतः इस वाद को रामेश्वर बनाम चतरसिंह वगैरह के साथ समेकित किया जावे। तथा वादग्रस्त खसरा नम्बरान बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा व कब्जे काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जावें। इस बाबत सहमति स्वरूप आदेशिका पर भी हस्ताक्षर किये।

वकील उभय पक्ष को सुना गया तथा दोनों पत्रावलियों का अवलोकन किया। अतः इस वाद चतरसिंह बनाम रामेश्वर वगैरह मु० नम्बर 116/19 को वाद रामेश्वर वगैरह बनाम चतरसिंह वगैरह मु० सख्यां 109/19 के साथ समेकित किया जाता है, अतः दोनों वादों का निर्णय एक साथ किया जावेगा।

[illegible signature]

06/8/25 पत्रावली पेश हुई, मूल वाद सं० 109/19 उनवानी रामेश्वर बनाम चतरसिंह का निर्णय किया जाकर निर्णय की एक प्रति इस पत्रावली के साथ भी शामिल की जाती है। पत्रावली फैसलशुदा शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

[illegible signature]

([illegible])

(फास्ट ट्रैक)

नगर (डीग) राज०

रामेश्वर वगै. बनाम चतरसिंह वगै.
चतरसिंह वगै. बनाम रामेश्वर वगै.

न्यायालय सहायक कलक्टर, नगर (डीग)

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

(1)

मुकद्मा नम्बर :–109/2019 दायरा दिनांक :– 23.10.2019

1. रामेश्वर पुत्र हरचन्द –––फौत
   1/1. गुड्डी पत्नी रामेश्वर
   1/2. लक्ष्मी पुत्री रामेश्वर
   1/3. क्षमा पुत्री रामेश्वर
   1/4. विवेक पुत्र रामेश्वर
2. गजेन्द्र पुत्र हरचन्द
3. देवेन्द्र पुत्र हरचन्द

जातियान गुर्जर निवासीयान सारंगपुर तहसील नगर जिला डीग।

––––––वादीगण

बनाम

1. चतरसिंह पुत्र कजौडी ––– फौत
   1/1. लख्खीराम पुत्र चतरसिंह
   1/2. जगदीश पुत्र चतरसिंह
   1/3. मुन्दरी पुत्री चतरसिंह
   1/4. शीला पुत्री चतरसिंह
   1/5. शिवराम पुत्र चतरसिंह
2. चेतराम पुत्र विजयसिंह
3. रामदयाल पुत्र विजयसिंह
4. अशोक पुत्र विजयसिंह
5. मुस0 फुलन पत्नी विजयसिंह (मृतक)
6. श्रीमान तहसीलदार साहब, नगर, तहसील नगर जिला डीग, प्रांत राज0

–––––––––– प्रतिवादीगण.

<u>दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

(2)

मुकदमा संख्या :– 116/2019 तारीख दायरा:– 27.11.2019

1. चतरसिंह पुत्र कजौडी ––– फौत
   1/1. लख्खीराम पुत्र स्व0 चतरसिंह
   1/2. जगदीश पुत्र स्व0 चतरसिंह
   1/3. शिब्बो पुत्र स्व0 चतरसिंह
   जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम सारंगपुर तहसील नगर जिला डीग।
   1/4. शीला पुत्री स्व0 चतरसिंह
   1/5. मुन्दरी पुत्री स्व0 चतरसिंह
   जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम पीलूकी तहसील नगर जिला डीग।

2. चेतराम पुत्र विजयसिंह
3. रामदयाल पुत्र विजयसिंह
4. अशोक पुत्र विजयसिंह
5. मुस0 फुलन पत्नी विजयसिंह (मृतक)
जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम सारंगपुर तहसील नगर जिला डीग।

---वादीगण

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र हरचन्द ---फौत
1/1. गुड्डी पत्नी रामेश्वर
1/2. विवेक पुत्र रामेश्वर
जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम सारंगपुर तहसील नगर जिला डीग।
1/3. लक्ष्मी पुत्री रामेश्वर
1/4. क्षमा पुत्री रामेश्वर
जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम सुदंरावली तहसील नगर जिला डीग।
2. गजेन्द्र पुत्र हरचन्द
3. देवेन्द्र पुत्र हरचन्द
जातियान गुर्जर निवासीयान सुंदरावली तहसील नगर जिला डीग।
4. श्रीमान तहसीलदार तहसील नगर

---- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थितः—

1. अधिवक्ता श्री अनिल कुमार गोयल वादी
2. अधिवक्ता श्री दिनेश चंद गुप्ता प्रतिवादीगण।

निर्णय

दिनांकः—06.08.2025

उक्त दोनो वादो मे पक्षकार एंव विवादित आराजी एंव चाहा गया अनुतोष एक समान है जिससे दोनो दावो का एक निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। निर्णय की एक—एक प्रति दोनो दावो मे शामिल रहेगी। विवादित आराजी खसरा नं0 159/0.76, 160/0.67, 161/0.65, 162/0.51 बाके ग्राम सारगंपुर तहसील नगर उभय पक्षकारान की सयुक्त खातेदारी की भुमि है। जिसके विभाजन के लिए दोनो पक्षो ने पृथक—पृथक वाद प्रस्तुत किये है। पूर्ववर्ती वाद संख्या 109/19 उनवानी रामेश्वर बगै. बनाम चतरसिंह बगै. के साथ पश्चात्वर्ती वाद संख्या 116/19 उनवानी चतरसिंह बगै. बनाम रामेश्वर बगै. को दिनांक 09.04.2025 को समेकित किया जाकर वकील उभय पक्षकारान की सहमती के अनुसार दावा में प्राथमिक डिक्री पारित कर आदेश दिया कि— ''वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा व कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार तैयार कर प्रस्तुत करें।''

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना मे तहसीलदार नगर द्वारा वउनवानी प्रकरण मे विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्र कमांक/भू.अ./25/1569 दिनांक 14.05.2025 को न्यायालय हाजा को कुछ इस प्रकार से प्रेषित किये गए।

रामेश्वर वगै. बनाम चतरसिंह वगै.
चतरसिंह वगै. बनाम रामेश्वर वगै.

1. आराजी खसरा नं0 161/0.65, 162/0.51, 159/1/0.07, 160/1/0.0650 किता 04 रकबा 1.2950 है0 रामेश्वर, गजेन्द्र, देवेन्द्र पि. हरचन्द बहिस्सा बराबर जाति गुर्जर नि. सारंगपुर खातेदार राहिन कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया शाखा नगर
2. आराजी खसरा नं0 159/2/0.69, 160/2/0.6050 किता 02 रकबा 1.2950 है0 चतरसिंह, विजयसिंह पुत्र कजौडी बहिस्सा बराबर जाति गुर्जर नि. सारंगपुर खातेदार राहिन एस.बी.आई. बैंक शाखा नगर।

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ सलंग्न नजरी नक्शा कुछ इस प्रकार से है।

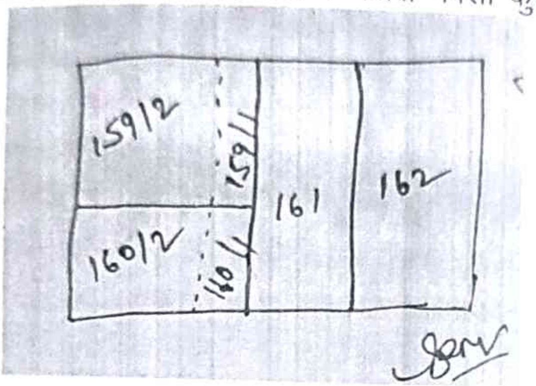

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्रार्थी लक्खीराम पुत्र चतरसिंह ने ऐतराज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे प्रार्थी ने मय वकील नोटप्रेस कर निवेदन किया है कि तहसीलदार नगर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार विभाजन कर दावा अन्तिम डिक्री किया जाने मे हमें कोई आपत्ति नही है। अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत ऐतराज कुर्रेजात रिपोर्ट नोटप्रेस कर खारिज किया जाता है।

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया।

तहसीलदार नगर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.05.2025 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–53 के नियम 18–21 के अन्तर्गत तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थिति बाबत पक्षकारान को सूचित करते हुये उपस्थित पक्षकारान की उपस्थिति मे तैयार किये गये है। अत तहसीलदार नगर द्वारा प्रेषित कुर्रेजात प्रस्ताव नियमों के संदर्भ मे प्रमाणिक व सही प्रतित होती है। जिसके अनुसार वादी रिकॉर्ड के अनुसार विभाजन कराने का अधिकारी है। अत दावा वादीगण अन्तिम डिक्री किये जाने योग्य है।

:आदेश:

अत वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नगर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 14.05.2025 के आधार पर उभय पक्ष के मध्य विवादित आराजी खसरा न0 159/0.76, 160/0.67, 161/0.65, 162/0.51 बाके ग्राम सारगंपुर तहसील नगर को मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी, खाते अलग–अलग बहिस्सा लगान कायम किये जाकर निम्न प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे इंद्राज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

रामेश्वर बगै. बनाम चतरसिंह बगै.
चतरसिंह बगै. बनाम रामेश्वर बगै.

1. आराजी खसरा नं0 161/0.65, 162/0.51, 159/1/0.07, 160/1/0.0650 किता 04 रकबा 1.2950 है0 गुड्डी पत्नी रामेश्वर, लक्ष्मी, क्षमा पुत्रीयान रामेश्वर, विवेक पुत्र रामेश्वर बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा, गजेन्द्र पुत्र हरचन्द 1/3 हिस्सा, देवेन्द्र पुत्र हरचन्द 1/3 हिस्सा जाति गुर्जर नि. सारंगपुर खातेदार राहिन कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया शाखा नगर
2. आराजी खसरा नं0 159/2/0.69, 160/2/0.6050 किता 02 रकबा 1.2950 है0 लख्खीराम, जगदीश, शिवराम पिसरान चतरसिंह, मुन्दरी, शीला पुत्रीयान चतरसिंह बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा, चेतराम, रामदयाल, अशोक पुत्रान विजयसिंह बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा जाति गुर्जर नि. सारंगपुर खातेदार राहिन एस.बी.आई.बैंक शाखा नगर।

नक्शे मे तरमीम इस प्रकार से की जावे।

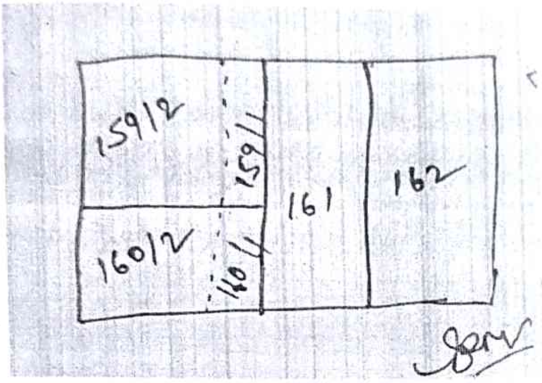

इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 06.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

06/8/25
(दुर्गा प्रसाद मीना)R.A.S.
सहायक कलक्टर
नगर (डीग)

2. चेतराम पुत्र विजयसिंह
3. रामदयाल पुत्र विजयसिंह
4. अशोक पुत्र विजयसिंह
5. मुस0 फुलन पत्नी विजयसिंह (मृतक)

जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम सारंगपुर तहसील नगर जिला डीग।

----वादीगण

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र हरचन्द ---फौत
   1/1. गुड्डी पत्नी रामेश्वर
   1/2. विवेक पुत्र रामेश्वर
   जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम सारंगपुर तहसील नगर जिला डीग।
   1/3. लक्ष्मी पुत्री रामेश्वर
   1/4. क्षमा पुत्री रामेश्वर
   जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम सुदंरावली तहसील नगर जिला डीग।
2. गजेन्द्र पुत्र हरचन्द
3. देवेन्द्र पुत्र हरचन्द
   जातियान गुर्जर निवासीयान सुंदरावली तहसील नगर जिला डीग।
4. श्रीमान तहसीलदार तहसील नगर

---- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आर.टी.एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू हमारे बहाजरी वादी श्री अनिल कुमार गोयल अभिभाषक मिनजानिब मुद्दई श्री दिनेश चंद गुप्ता अभिभाषक मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नगर अन्तिम डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा न0 159/0.76, 160/0.67, 161/0.65, 162/0.51 बाके ग्राम सारगंपुर तहसील नगर को मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी, खाते अलग-अलग बहिस्सा लगान कायम किये जाकर निम्न प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे इंद्राज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

1. आराजी खसरा नं0 161/0.65, 162/0.51, 159/1/0.07, 160/1/0.0650 किता 04 रकबा 1.2950 है0 गुड्डी पत्नी रामेश्वर, लक्ष्मी, क्षमा पुत्रीयान रामेश्वर, विवेक पुत्र रामेश्वर बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा, गजेन्द्र पुत्र हरचन्द 1/3 हिस्सा, देवेन्द्र पुत्र हरचन्द 1/3 हिस्सा जाति गुर्जर नि. सारंगपुर खातेदार राहिन कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया शाखा नगर

2. आराजी खसरा नं0 159/2/0.69, 160/2/0.6050 किता 02 रकबा 1.2950 है0 लख्खीराम, जगदीश, शिवराम पिसरान चतरसिंह, मुन्दरी, शीला पुत्रीयान चतरसिंह बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा, चेतराम, रामदयाल, अशोक पुत्रान विजयसिंह बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा जाति गुर्जर नि. सारंगपुर खातेदार राहिन एस.बी.आई.बैंक शाखा नगर।
   नक्शे मे तरमीम इस प्रकार से की जावे।

रामेश्वर बगै. बनाम चतरसिंह बगै.
चतरसिंह बगै. बनाम रामेश्वर बगै.

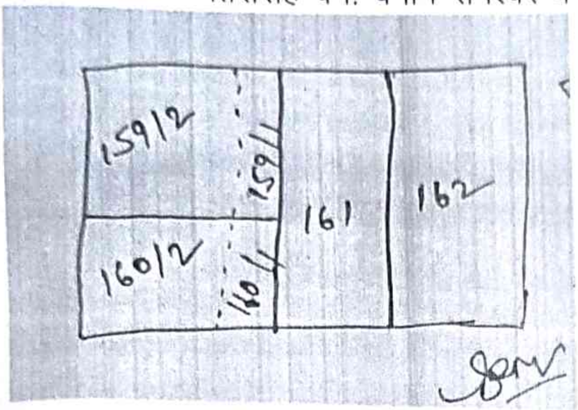

डिकी बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.08.2025 को जारी की गयी।

(दुर्गा प्रसाद मीना)R.A.S.
सहायक कलक्टर
नगर (डीग)